सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{1 फाल्गुन, 1945 (श०)}}{\text{20 फरवरी, 2024 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 158

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	90
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	13
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	..	..	07
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	10
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	04
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	07
(7)	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..	01
(8)	परिवहन विभाग	..	..	07
(9)	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	..	..	03
(10)	खेल विभाग	..	..	16
			कुल योग --	158

आर्थिक स्थिति सुधारना

*217. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में अनुसूचित जन-जाति की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 18,102 है, ग्रामीण पंचायतों के साथ नगर पंचायत, रानीगंज में इस आबादी के लोग खेती, पशुपालन के साथ-साथ कई प्रकार के घरेलू जनोपयोगी सामान जैसे खटिया, खटोली (मचिया), दबिया, कुदाल, खुरपी (पसनी), हसुआ, तीर-धनुष आदि सामानों का कुशलतापूर्वक निर्माण करते हैं, किन्तु उत्पादित सामानों की मार्केटिंग की सुविधा नहीं होने के कारण इन लोगों के आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार रानीगंज प्रखंड में बसे अनुसूचित जन-जाति समुदाय के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गैर-आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना

*218. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खेल को बढ़ावा देने के लिये राज्य में गैर-आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की सरकार की योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ विधान सभा अन्तर्गत गुलाब बाग हाँसदा, मुंसीबाड़ी, बनवासी कल्याण आश्रम का खेल मैदान उक्त योजना के सभी मानक को पूरा करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदान को गैर-आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र के लिये चयनित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय भवन का जीर्णोद्धार

*219. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर शहर में निर्मित पुस्तकालय श्री कृष्ण सेवा सदन जर्जर है जिसके कारण यहाँ पर उपलब्ध दुर्लभ पुस्तकें रख-रखाव के अभाव में नष्ट हो रहे हैं और न ही छात्राओं को अध्ययन करने की समुचित व्यवस्था है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पुस्तकालय के भवन का जीर्णोद्धार एवं छात्रों को अध्ययन करने के लिये समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कटाव से बचाव

*220. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केवटी विधान सभा अन्तर्गत मध्य विद्यालय, सिरहुल्ली का भवन धौंस नदी के कटाव से नदी में समाहित होने के कगार पर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन को कटाव से बचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में कमरों का निर्माण एवं चहारदीवारी कराना

*221. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत कुमारीपुर पंचायत के कुमारीपुर मध्य विद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, परन्तु उक्त विद्यालय में दो ही कमरे हैं और चहारदीवारी भी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में अतिरिक्त कमरों का निर्माण एवं चहारदीवारी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*222. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत BRM कॉलेज में पढ़ रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति छात्राओं के लिये छात्रावास जर्जर है, जिसके कारण छात्राओं के लिये छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक BRM कॉलेज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्राओं के लिये छात्रावास बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

'क'-*223. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड अतरी के ग्राम-टेठसा में सूर्यमंदिर के पास महादलित समुदाय का टोला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम के महादलित समुदाय के बसावट के निकट सरकारी भूमि उपलब्ध है जहाँ महादलित समुदाय के लोगों को ठहरने एवं विश्राम करने के लिये महादलित सामुदायिक विकास भवन-सह-वर्कशेड नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के महादलित समुदाय के निकट सरकारी भूमि में महादलितों के विश्राम हेतु महादलित सामुदायिक विकास भवन-सह-वर्क शेड निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बालू खनन पर रोक लगाना

*224. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सोन नदी से निर्बाध बालू उठाव के कारण अरवल जिला के दर्जनों गाँवों में जलस्तर, स्वास्थ्य, सड़क एवं फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सोहसा, कमता, बाथे, अरवल शाही मोहल्ला समेत दर्जनों गाँवों में चापाकल का पानी सूखने लगा है और सांस की बीमारी भी बढ़ने लगा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सोनतटीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व जल स्तर की जाँच के लिये विशेष सर्वे कराकर निर्बाध बालू खनन पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय में उत्क्रमण

*225. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड के यादोपुर पंचायत, वार्ड नम्बर 8 में स्थित अनुसूचित जाति बस्ती में 3 किलो मीटर के अन्दर के मात्र नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, चैनपुर है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति के बच्चों को कक्षा आठ तक पढ़ने के लिये मध्य विद्यालय नहीं होने से 3 किलो मीटर दूरी तय कर जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ज्ञापांक 255, दिनांक 9 फरवरी, 2024 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग में स्थानांतरित ।

विद्यालय भवन का निर्माण

*226. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, यादव टोल, सिरसी (विभूतिपुर) भवनहीन होने के कारण प्राथमिक कन्या विद्यालय, कापन विभूतिपुर में संचालित किया जा रहा है, जबकि उक्त प्राथमिक विद्यालय में जमीन भी उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु श्रीमती पार्वती देवी, पति-डॉ0 राम अशीष यादव, निवास स्थान महथी टोला, सिरसी प्रगना सरैसा, थाना-अंचल विभूतिपुर के द्वारा महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार को दिनांक 17 अक्टूबर, 2021 को ही जमीन दान की गई है, जिसका खाता संख्या-1803, नया-684, खेसरा-1011 पुराना, डि0-10 तथा डीड नम्बर-1591 है, परंतु आजतक विद्यालय के भवन का निर्माण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*227. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, विनोवा नगर का भवन काफी जर्जर है, जो किसी भी समय गिर सकती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण

*228. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपाकरेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड अंतर्गत प्रा0वि0 गोढ़ियारी एवं पिपरा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, झिटकियाही का भवन नहीं रहने के कारण पठन-पाठन एवं अन्य शिक्षण कार्य में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में संख्या के अनुरूप कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा को सुदृढ़ कराना

*229. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या 156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला सहित राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचाने के उपरान्त मोबाईल से सेल्फी लेकर उपस्थिति दर्ज करनी होती है, जो व्यवहारिक और कारगर नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपस्थिति बायोमेट्रिक पद्धति से बनवाने तथा प्रत्येक कक्षा में सी0सी0टी0वी0 लगाकर इसकी मॉनिटरिंग विभागीय स्तर पर कराकर कुशल शिक्षकों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित कर स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

*230. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के पकरीबरावां पुलिस अनुमंडल अन्तर्गत धमौल एक बाजार है जहाँ थाना, बैंक, इंटर विद्यालय आदि सभी संसाधन उपलब्ध है परन्तु एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पुलिस अनुमंडल पकरीबरावां के धमौल बाजार में एक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उर्दू मकतब स्थापित कराना

*231. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत नावकोठी प्रखण्ड में एक भी उर्दू मकतब नहीं है, जिसके कारण उर्दू की शिक्षा के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उर्दू छात्रों के लिए नावकोठी प्रखण्ड में एक उर्दू मकतब स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन निर्माण कराना

*232. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड के सिंहपुर पश्चिम पंचायत में उच्च विद्यालय का भवन काफी जर्जर अवस्था में है तथा विद्यालय में कमरे की भी कमी है जिससे विद्यार्थी को पढ़ाई करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जर्जर भवन की मरम्मती एवं कमरे की कमी को देखते हुए नये कमरों का निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, नहीं, तो क्यों ?

पी0एफ0 का लाभ

*233. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उच्च (+2) सरकारी विद्यालय में कार्यरत ICT कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति निजी एजेंसी के द्वारा किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति के 01 वर्ष सेवाकाल पूरा करने के बावजूद न ही PF का लाभ मिला एवं ESI कार्ड से भी वंचित रखा गया है, जबकि ये सभी सामान्य शिक्षकों की तरह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्यालय में कार्य करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ICT कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को PF, CL, दुर्घटना बीमा एवं ESI कार्ड का लाभ देने एवं इनका सेवाकाल 60 वर्ष करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*234. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय, इटाढ़ी में एक बड़ा खेल मैदान है परन्तु उक्त मैदान के घेराबंदी नहीं होने के कारण अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मैदान स्टेडियम निर्माण के लिए उपयुक्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदान की घेराबंदी कर स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महिला कॉलेज स्थापित करना

*235. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के रक्सौल विधान सभा क्षेत्र जो अन्तर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल की सीमा पर अवस्थित है तथा जिला मुख्यालय से दूरस्थ इलाका होने के कारण इस क्षेत्र के बच्चियों की उच्च शिक्षा हेतु कोई महिला कॉलेज नहीं होने के कारण अधिकतर छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्र में महिला कॉलेज स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भारी वाहनों के लिये प्रवेश निषेध की कार्रवाई

*236. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नासरीगंज धुस से बिक्रमगंज एन०एच० 120 का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है तथा बालू घाटों से निकलने वाले ओवर लोडेड बड़े वाहनों की परिचालन से इस पथ के क्षतिग्रस्त होने व जाम आदि की समस्याओं से आवागमन में परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मार्ग में भारी वाहनों को दिन के समय प्रवेश निषेध कर दुर्घटना एवं जाम की समस्याओं से कबतक निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय की स्थापना करना

*237. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी अनुमंडल में अम्बेदकर आवासीय विद्यालय के नहीं रहने के कारण क्षेत्र के दलित-महादलित गरीब बच्चों के पढ़ाई में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर अम्बेदकर आवासीय विद्यालय के स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान की श्रेणी में रखना

*238. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 339+2 मदरसा जो 31 मार्च, 1987 से स्वीकृत हैं, शिक्षा विभाग के संकल्प 1090, दिनांक 29 नवम्बर, 1980 एवं 162, दिनांक 15 फरवरी, 2011 की सारी शर्तों को पूरी करते हैं जिनकी जाँच विशेष निदेशक के पत्रांक 1064/20 के आलोक में विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा जाँच कर प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड को समर्पित किया जा चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रथम जाँच प्रतिवेदन की त्रुटियों के सुधार हेतु विभाग के पत्रांक 10/व-90/2019 एवं मदरसा बोर्ड के पत्रांक 1574/16 जुलाई, 2021 के आदेश पर पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा जाँच कर प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड को समर्पित किया जा चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सारी शर्तों को पूरी करने वाले 339+2 कोटि के मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*239. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 जनवरी, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "2466 कक्षा बनाने में गबन पर बीईपी ने कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017-18 में विद्यालयों के अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाने में राज्य में 2466 कमरों की राशि का गबन हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस मामले में 476 विद्यालयों में अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् ने इस संबंध में दरभंगा, मुजफ्फरपुर

सहित सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है, जो अप्राप्त है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गबन की गयी राशि की वसूली और गबन करने वालों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वृद्ध आश्रम खुलवाना

*240. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौडाबौराम)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल अन्तर्गत एक भी वृद्ध आश्रम नहीं है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को रहने में कठिनाइयां हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बिरौल अनुमंडल के बिरौल प्रखण्ड में वृद्ध आश्रम खोलने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--राज्य के निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में इस योजनान्तर्गत राज्य के 06 जिलों (पटना, पूर्णियाँ, गया, भागलपुर, रोहतास एवं पश्चिम चम्पारण) में वृद्धाश्रम संचालित हैं।

दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल अन्तर्गत बिरौल प्रखण्ड में वृद्धाश्रम संचालन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बसों का संचालन कराना

*241. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय भागलपुर से झारखंड सीमा के मिर्जाचौकी तक आने जाने के लिये यात्री सिर्फ ट्रेन और निजी वाहन पर आश्रित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त रूट पर बिहार सरकार के बसों का संचालन नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भागलपुर से मिर्जाचौकी के बीच सरकारी बसों का संचालन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*242. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड अन्तर्गत टौरलपुर पंचायत के निस्ता गांव में मध्य विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय, निस्ता में लगभग 1500 विद्यार्थी पढ़ते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त मध्य विद्यालय 10+2 उ०वि० की सभी अर्हता को पूरा करता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मध्य विद्यालय को 10+2 विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस सेवा का परिचालन

*243. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पानापुर प्रखण्ड के सतजोड़ा से सारण जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 50 किलो मीटर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सतजोड़ा से सारण जिला मुख्यालय तक सरकारी बस सेवा उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सतजोड़ा से सारण जिला मुख्यालय तक सरकारी बस सेवा का परिचालन शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फीस दिलाना

*244. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में छात्रों के लिये स्टूडेंट क्रेडिट कोर्ड योजना लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत संचालित M.B.A के छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत राशि दी जाती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में नामांकित छात्र गंगेश कुमार राय (रजिस्ट्रेशन आई०डी०-4894494) सहित बिहार के अन्य छात्रों को प्रथम सेमेस्टर का फीस दिया गया है, परन्तु द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर का फीस अभीतक नहीं दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गंगेश कुमार राय सहित इस विश्वविद्यालय में नामांकित अन्य छात्रों को द्वितीय तथा तृतीय सेमेस्टर का फीस कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*245. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर अनुमंडल मुख्यालय में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है जहां वीर कुँवर सिंह की जन्मस्थली है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डिग्री कॉलेज के निर्माण हेतु अंगरूआ ग्राम में उत्क्रमित उच्च विद्यालय में 9 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अनुमंडल मुख्यालय जगदीशपुर में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विश्वविद्यालय भवन का निर्माण

*246. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर विश्वविद्यालय का अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मुंगेर विश्वविद्यालय के भूमि उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*247. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड केगुनेरी पंचायत के ग्राम-केन्दुआ में 2 कमरों वाली प्राथमिक विद्यालय की स्थापना 30 वर्ष पूर्व में की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत 10 वर्ष पूर्व से प्राथमिक विद्यालय के कमरों का भवन पूरी तरह से जर्जर रहने के कारण बगल के सामुदायिक भवन में शिक्षण का कार्य चल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कार्य कराकर शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*248. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा विधान सभा

अन्तर्गत कुटुम्बागढ़ की खुदाई में अतिप्राचीन दुर्लभ अवशेष प्राप्त हुये हैं, इसके बावजूद कुटुम्बागढ़ की चहारदीवारी का अबतक निर्माण नहीं होने से उसकी भूमि को आस-पास के लोगों के द्वारा अतिक्रमित किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कुटुम्बागढ़ क्षेत्र को सुरक्षित रखने हेतु चहारदीवारी बनवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

संवेदक पर कार्रवाई

*249. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय विष्णुपुर में बी०एस०ई०आई०डी०सी० द्वारा 4 कमरे का अतिरिक्त भवन का निर्माण कराया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में संवेदक द्वारा प्राक्कलन के अनुसार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराया जा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि कार्य स्थल पर कार्य की सूचना पट्ट भी नहीं लगा हुआ है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रोत्साहन राशि का भुगतान

*250. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 90% फोकानिया एवं मौलवी छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि आजतक नहीं मिली है जिसके कारण प्रोत्साहन राशि 90 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को आजतक नहीं मिला है जिसके कारण उक्त छात्र/छात्राओं को आगे की पठन-पाठन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिला के फोकानिया एवं मोलवी से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय के भवन का निर्माण

*251. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड पताही के पंचायत बेलाहीराम के ग्राम-कोदरिया में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, कोदरिया कानू टोला का जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी विद्यालय भवनहीन है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेविका पर कार्रवाई

*252. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के मढ़ौरा प्रखंड के सलिमापुर पंचायत में सलिमापुर शेख टोली के वार्ड नं० 4 में आँगनबाड़ी केन्द्र सं० 25 अवस्थित है जो हमेशा बन्द रहता है और इस केन्द्र की सेविका महीने में एक बार आकर खानापूर्ति करके चली जाती है इससे संबंधित आवेदन उक्त पंचायत के मुखिया एवं ग्रामीण जनता द्वारा सेविका के विरुद्ध विगत छः माह पूर्व में जिला पदाधिकारी, छपरा एवं सी०डी०पी०ओ०, मढ़ौरा को उपलब्ध कराने के बावजूद भी अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र में नियुक्त सेविका पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*253. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ प्रखंड स्थित 10 + 2 विद्यालय, मकदुमपुर, पुनपुन तथा सोरमपुर, पलंगा पुराना और क्षेत्र का स्थापित विद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों विद्यालय का भवन जर्जर और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा विद्यालय में चहारदीवारी नहीं होने से बच्चों के पठन-पाठन में परेशानी और विद्यालय की सामग्रियों की भी चोरी की शिकायतें होते रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक उक्त दोनों जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवन को नये सिरे से बनाने और दोनों स्कूलों की चहारदीवारी निर्माण करने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वाणिज्य विषय का पढ़ाई प्रारंभ कराना

*254. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय में अवस्थित श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय है जिसमें बेगूसराय जिला के अतिरिक्त खगड़िया एवं पटना जिले की भी छात्राएँ अध्ययनरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में वाणिज्य विषय की पढ़ाई प्रारंभ नहीं होने के कारण इच्छुक छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महाविद्यालय में वाणिज्य विषय का पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कॉलेज भवन का निर्माण

*255. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा अन्तर्गत सुन्दरबाड़ी किसान कॉलेज अवस्थित है जिसमें वर्ग कक्ष एवं कार्यालय कक्ष का भवन नहीं रहने के कारण पठन-पाठन एवं कार्यालय कार्य में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कॉलेज का भवन निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*256. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत वजीरगंज प्रखंड के केदारनाथ उच्च विद्यालय, तरवा के मैदान में स्टेडियम बनाने का सरकार की तरफ से प्रस्ताव पास हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेडियम के निर्माण हेतु वजीरगंज अंचल के द्वारा पत्रांक 1575, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के द्वारा उप-विकास आयुक्त, गया को जमीन का मापी करवाकर भेजा जा चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पदों पर सीधी भर्त्ती कराना

*257. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि महाविद्यालयों में प्राध्यापकों को संविदा पर रखने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा टेंडर BSHEC/TenderHR/61/2023-504, दिनांकित 29 नवम्बर, 2023 अनुमोदित की गई है एवं उक्त टेंडर के आलोक में विकास ट्रेडर्स (GSTIN - 10AFVPY6036NIZO) द्वारा निर्गत पत्रांक 8, दिनांक 17 जनवरी, 2024 से बिहार के सभी अंगीभूत कॉलेजों में रिक्ति की जानकारी माँगी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त तरीके से नियुक्ति में UGC या बिहार यूनिवर्सिटी में लागू नियमावली (आरक्षण, अर्हता आदि) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा इस प्रकार के नीतियों हेतु कैबिनेट या विधान सभा का निर्णय नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करते हुये उच्च शिक्षा में लागू किये जा रहे संविदा के आधार पर नियुक्ति के प्रचलन को रोकने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*258. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड मदनपुर के गणेश नगर उच्च विद्यालय, मनीका, रामेश्वर राणा उच्च विद्यालय, घटराईन उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रसलपुर दधपी, मध्य विद्यालय चिलमी दक्षिण उमगा, उच्च विद्यालय, जुड़ाही दक्षिण उमगा एवं प्रखंड मदनपुर के अनेकों विद्यालय में चहारदीवारी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चहारदीवारी नहीं रहने के कारण विद्यालय के प्रांगण में असामाजिक तत्व एवं पशुओं का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय एवं मदनपुर प्रखंड के बाकी बचे हुये उच्च विद्यालय में चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतन वृद्धि का विचार

*259. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को अनुकम्पा के तहत विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद का सृजन कर बहाली की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय सहायक का मानदेय 16,500 एवं विद्यालय परिचारी का मानदेय 15,200 दिया जा रहा है जो बढ़ते महंगाई में काफी कम है जिसके वजह उन परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के वेतन वृद्धि का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास चालू कराना

*260. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत डण्डखोरा प्रखंड अन्तर्गत डुमरिया में कल्याण छात्रावास का निर्माण दो वर्ष पूर्व कराया गया था, परन्तु आजतक चालू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त छात्रावास को चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन में बढ़ोतरी

*261. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 तक एक करोड़ लाभार्थियों को पेंशन देने की व्यवस्था है, जबकि उक्त योजनान्तर्गत 79 वर्ष के पेंशनधारियों को मात्र 400 रुपया एवं 80 वर्ष के उम्र वाले पेंशनधारियों को 500 रुपया प्रतिमाह दिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इतनी महंगाई में क्रमशः 400 रुपये एवं 500 रुपये में गुजारा करना कठिन हो रहा है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार उक्त पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनधारियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मन्दिर का जीर्णोद्धार

*262. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड के अहियारी स्थित ऐतिहासिक अहिल्यास्थान परिसर में भरपुर राम दरबार मन्दिर का पुरातत्व विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया था, जिसके आलोक में मन्दिर का जीर्णोद्धार करना था, परन्तु अभी तक मन्दिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019 में तत्कालीन निदेशक, पुरातत्व, बिहार के द्वारा जिलाधिकारी, दरभंगा से मन्दिर जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया था जिसके आलोक में जिलाधिकारी द्वारा वास्तुविद की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अभीतक वास्तुविद की सेवा उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युकत खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ई-सुविधा पोर्टल पर इंट्री कराना

*263. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि क्रिया हेतु उनके आश्रित को एक मुश्त 3000 रूपया अनुदान दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला में विभिन्न पंचायत एवं नगर निकायों को बैंक खाता ई-सुविधा पोर्टल पर इंट्री नहीं किये जाने के कारण अभी तक राशि अंतरित नहीं की जा रही है जिसके कारण उन निकायों के लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंचायत एवं नगर निकाय का सक्रिय बैंक खाता ई-सुविधा पोर्टल पर इंट्री कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*264. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ प्रखण्ड अन्तर्गत मिर्जापुर में उच्च विद्यालय, मिर्जापुर का चहारदीवारी नहीं रहने से यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को सुरक्षा का खतरा बना रहता है यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की घेराबंदी के लिए चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*265. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत चमड़ी अन्तर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, नागेश्वर विगहा भवन विहीन है जिसके कारण इस विद्यालय को करीब 2 कि0मी0 दूरी के अन्य विद्यालय के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है यदि हाँ, तो सरकार कबकतक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, नागेश्वर विगहा का नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*266. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के रेणुगांव सिमराहा में वन विभाग के जमीन पर मंकी (बंदर) पार्क बनाने का निर्णय वर्ष 2021 में लिया गया था, जिसका अबतक निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मंकी (बंदर) पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*267. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, वौरी सराय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मौलानाचक एवं उत्क्रमिक उच्च विद्यालय शरीफाबाद में क्रमशः 1000, 950 एवं 925 छात्र-छात्रा पठन-पाठन हेतु नामांकित है परन्तु पाठन कक्षा के अभाव में बच्चों को बरामदे में बैठाया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में कबतक विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण कराना

*268. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-अगिआंव के ग्राम अजिमाबाद, नारायणपुर, नोनउर और अगिआंव के खेल मैदान अत्यंत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिससे ग्रामीण खेल प्रतिभा का विकास नहीं हो रहा है तथा बिहार पुलिस, एस0एस0सी0, रेलवे ग्रुप डी आदि की तैयारी कर रहे युवा मैदान खराब रहने के कारण सही से तैयारी नहीं कर पाते, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त खेल मैदानों के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वृद्धावस्था पेंशनधारी की परेशानी का निदान

*269. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा के काराकाट प्रखंड अंतर्गत सभी गाँवों के वृद्धावस्था पेंशन पा रहे लाभार्थियों का आधार से खाता को लिंक किया गया है ताकि सीधे लाभार्थी के खाते में राशि का भुगतान किया जा सके, परन्तु जीवन प्रमाण-पत्र हेतु उनके अंगुलियों एवं आँखों का सत्यापन में हो रहे कठिनाई से वे वृद्धा पेंशन से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो वैसे वृद्धा अवस्था वाले लाभार्थियों को हित मे कोई ठोस कदम कबतक उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*270. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्य यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखण्ड के सनहपुर स्थित मिथिला महाविद्यालय, सहनपुर, सिंहवाड़ा जो वर्ष 1980 से 1995 तक सुचारू रूप से संचालित था, वर्तमान में भवन ध्वस्त होने के कारण बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महाविद्यालय के भवन निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु ग्रामीणों के द्वारा 08 एकड़ भूमि महामहिम राज्यपाल, बिहार को वर्ष 1990 में ही दान दिया जा चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिथिला महाविद्यालय, सनहपुर, सिंहवाड़ा का भवन निर्माण कर महाविद्यालय को पुनः सुचारू रूप से चलाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

इंडोर स्टेडियम बनवाना

*271. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा विधान सभा अन्तर्गत अबतक इंडोर स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खुदाई पर रोक लगाना

*272. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी विधान सभा अंतर्गत बालू की गहरी खुदाई के लिये सोन नदी के मुख्य धारा को बांध कर नदी के मूल स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है, जिससे आये-दिन स्नान करते समय ग्रामीणों और बच्चों की डूब जाने से मौत हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार नदी की नियम विरुद्ध खुदाई पर रोक लगाने के साथ कबतक उसे मूल स्वरूप में लाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*273. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड के जनहट सबेला इस्लामपुर स्कूल में तथा शंकरपुर प्रखंड के जीरवा मधेली पंचायत के वार्ड नं० 1 स्थित स्कूल में भवन नहीं होने के कारण छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों विद्यालय भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*274. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड अन्तर्गत धनसोई में हाई स्कूल का एक बड़ा खेल का मैदान है जो स्टेडियम निर्माण के लिये उपर्युक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मैदान की घेराबंदी नहीं होने के कारण खेल मैदान का अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे बच्चों को खेलने में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदान की घेराबंदी कर स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महिला महाविद्यालय खोलना

*275. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के तिलौथु प्रखंड में एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है, जिस कारण छात्राओं को काफी दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है, कुछ छात्राओं की पढ़ाई छूट जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक तिलौथु प्रखंड में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*276. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के मलहद पंचायत के ग्राम मलहद में हाई स्कूल तथा रफीगंज प्रखंड के ग्राम-खरौना बुजुर्ग में हाई स्कूल में लगभग 11-11 एकड़ जमीन खाली है, जो स्टेडियम बनाने के लिये पर्याप्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*277. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सेन्ट्रल ऐसेम्बली के सदस्य स्व० नारायण प्रसाद सिंह द्वारा बसंत पंचमी 1916 ई० को सिवान जिला अन्तर्गत गोरेयाकाठी प्रखंड के ग्राम-गोरेयाकोठी में नारायण क्रम योगी उच्च विद्यालय के स्थापना सुदूर देहाती इलाके में शिक्षा का अलख जगाने व उस समय समाज में फैले छुआ-छूत जाति प्रथा को समाप्त करने के उदेश्य से की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय भवन निर्माण हुये 108 वर्ष हो जाने के कारण जर्जर हो रहा है एवं छत से ईंट गिर रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय को विशिष्ट विद्यालय का दर्जा देकर उसकी ऐतिहासिक भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*278. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 11 नवम्बर, 2018 को भूटान मंदिर निर्माण के अवसर पर राजगीर, नालंदा में सबेरा कला केन्द्र से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण स्तरहीन होने के उपरांत जाँच में दोषी पाये-जाने के बाद भी युवा महोत्सव 2023 एवं जी 20 का संयोजक बनाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खराब प्रस्तुतीकरण में दोषी सबेरा कला केन्द्र को डिबार करते हुये युवा महोत्सव 2023 एवं जी 20 में संयोजक बनाये जाने वाले दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन निर्माण कराना

*279. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति टोलों में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराने की योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला अन्तर्गत अरियरी प्रखंड के मनीपुर मुसहरी टोला, बरूणा माँझी, टोला एवं रामपुर मांझी टोला में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त टोलों में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 129, दिनांक 7 फरवरी, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि--

- अरियरी प्रखंड के मनीपुर मुसहरी टोला बरूणा माँझी टोला एवं रामपुर माँझी टोला में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु उपयुक्त सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है।
- सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति बाहुल्य टोला में परिवारों की संख्या 100/500 की आबादी तथा सरकारी भूमि 3000 वर्गफीट (60फीट X 50 फीट) का मानक निर्धारित गया है।

अत: वर्णित टोलों में उपर्युक्त जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

(3) उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

आई०टी०आई० कॉलेज खोलना

*280. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड में लगभग 5 लाख से ज्यादा की आबादी है परन्तु एक भी सरकारी आई०टी०आई० कॉलेज नहीं है जिससे छात्र/छात्राओं को दूसरे जगह पढ़ाई के लिये जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कुढ़नी प्रखंड में सरकारी आई०टी०आई० खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराना

*281. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड अतरी के ग्राम-चिरैयाटाड़ में प्राथमिक विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में 1000 (एक हजार) की आबादी के बावजूद भी प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण यहां के बच्चे पठन-पाठन से वंचित हैं और शिक्षा का अभाव है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में बच्चों के पठन-पाठन हेतु प्राथमिक विद्यालय स्थापित करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन सह-वर्कशेड का निर्माण

*282. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड अंतर्गत मदारगंज पंचायत के काझा गाँव में महादलित सामुदायिक भवन सह-वर्कशेड नहीं है, जबकि उक्त बस्ती में SC एवं ST की आबादी पाँच सौ से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के तहत पांच सौ आबादी वाले महादलित बस्ती में महादलित सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त गांव में महादलित सामुदायिक भवन सह-वर्कशेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भौतिकी विभाग के भवन का छत को जीर्णोद्धार कराना

*283. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर भौतकी विभाग के भवन का छत से पानी चूने से पुस्तकालय की किताबें, प्रायोगिक कक्षों और रिसर्च केन्द्र में रखे समान तथा लाखों के उपकरण बर्बाद होने की स्थिति में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन के छत का जीर्णोद्धार कर अमूल्य उपकरणों तथा पुस्तकों के संरक्षण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का रख-रखाव सुधारना

*284. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 जनवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''सूबे के प्रखंडों में बने अधिकतर स्टेडियम का उपयोग नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 370 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी जिनमें 222 स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हुआ है जबकि 148 का निर्माण कार्य अधूरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्टेडियम का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं रहने के कारण खिलाड़ी खेल का अभ्यास अथवा आयोजन नहीं कर पाते हैं, जबकि करोड़ों रुपये की लागत से स्टेडियम का निर्माण कराया गया हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक स्टेडियम के रख-रखाव को दुरुस्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास निर्माण कराना

*285. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत मेहसी प्रखंड के बालाकोठी हाई स्कूल अति पिछड़ा बहुल इलाके में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये छात्रावास बनाये जाने का प्रावधान है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में छात्रावास निर्माण हेतु जमीन भी उपलब्ध है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*286. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत मझौलिया प्रखंड के हरपुर गढ़वा, डुमरी रमपुरवा महनवा, बरवा सेमरा घाट, सरिसवा, रतनमाला पंचायतों की दूरी बेतिया बस स्टेशन से 20 से 25 किलो मीटर से अधिक है, जिस कारण लोगों को स्वास्थ्य एवं अन्य कार्यों हेतु राजधानी पटना आने-जाने में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सरिसवा बाजार में पटना आने-जाने हेतु बस का परिचालन आरंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्नातकोत्तर की पढ़ाई

*287. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106-जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत जीरादेई विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र अंगीभूत हरिराम डिग्री कॉलेज, मैरवा है जिसमें अभीतक स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक हरिराम डिग्री कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विधि महाविद्यालय में नामांकन

*288. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अन्तर्गत टी०एन०बी० विधि महाविद्यालय, भागलपुर में विगत 5 वर्षों से छात्रों का दाखिला नहीं हो रहा है जबकि इस विधि महाविद्यालय में बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्य के भी छात्र/छात्राएँ शिक्षा ग्रहण करने आते रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विधि महाविद्यालय में छात्रों के नामांकन के लिये सरकार कौन-से कदम कबतक उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*289. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 जनवरी, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''राजस्व वसूली के मामले में पिछड़ रहा जिला'' के आलोक में क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला में परिवहन विभाग द्वारा 73 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित था जिसके विरुद्ध स्थानीय अधिकारियों ने मात्र 48 प्रतिशत ही राजस्व वसूली की है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया की शिथिलता के कारण राजस्व वसूली में कमी आयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजस्व की निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के प्रति लापरवाह पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*290. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, शादिपुर में एक कमरे में दो आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहा है, जहाँ चापाकल खराब होने की वजह से पीने के पानी का भी संकट है इस कारण विद्यालय एवं आँगनबाड़ी केन्द्र दोनों के बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों को तत्काल किराये के मकान में संचालित करने तथा प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*291. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के हरिगाँव पंचायत के हरिगाँव ग्राम स्थित मारिसस के प्रधानमंत्री के नाम से सर शिव सागर राम गुलाम उच्च विद्यालय के भवन का चहारदीवारी नहीं होने के कारण वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है एवं छात्र/छात्राओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*292. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 25 जनवरी, 2024 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''कड़ाके की ठंड में खुले रहे स्कूल दो छात्रों की मौत'' क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की स्थिति में भी शिक्षा विभाग के निर्देश के कारण राज्य के स्कूलों के खुलने से ठंड के कारण मुजफ्फरपुर के बोचहाँ प्रखंड में एवं लखीसराय के कजरा थाना अन्तर्गत के स्कूलों में ठंड लगने से दो बच्चों की मृत्यु हो गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व में शीतलहर और ठंड के कारण जिलों में जिला पदाधिकारियों के आदेश से स्कूलों के बंद रखा जाना था ताकि स्कूल जाने के कारण बच्चों को ठंड नहीं लगे ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य में ठंड और शीतलहर के समय में विद्यालयों को खोलने का क्या औचित्य है ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*293. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय के भवन का निर्माण

*294. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड पताही के पंचायत बेतौन के ग्राम-बेतौन में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, बेतौना परती टोला का जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी विद्यालय भवनहीन है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कल्याण छात्रावास का निर्माण

*295. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के सुलतानगंज प्रखंड में एक अति प्रतिष्ठित अंगीभूत महाविद्यालय मुररका कॉलेज सुलतानगंज है जिसमें बी0ए0 एवं बी0एस0सी0 के ऑनर्स स्तर की पढ़ाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में हजारों अनुसूचित जाति के छात्र पढ़ते हैं, परंतु यहाँ एक भी अनुसूचित जाति के लिये कल्याण छात्रावास नहीं है जबकि महाविद्यालय के पास अपनी जमीन भी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में अनुसूचित जाति के लिये एक कल्याण छात्रावास बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की 30000 से अधिक आबादी वाले वैसे प्रखंडों जिसमें राजकीय कल्याण छात्रावास निर्माण की स्वीकृति शेष है, में एक 100 आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रावास का निर्माण किया जाना है ।

(2) उक्त अर्हता के अनुसार भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज प्रखंड में राजकीय कल्याण छात्रावास का निर्माण प्रस्तावित है ।

(3) जिला समाहर्ता, भागलपुर से छात्रावास निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

चहारदीवारी का निर्माण

*296. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी प्रखंड अन्तर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हसनपुर सुरत मट का चहारदीवारी, नदी उड़ाही एवं पुल के निर्माण के क्रम में क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण इसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिये दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के क्षतिग्रस्त चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपस्कर की व्यवस्था

*297. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अस्थावाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सरमेरा प्रखंड के उत्क्रमित +2 विद्यालय, काजीचक एवं बड़ी मलावा सहित अन्य उत्क्रमित +2 विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन कार्य हेतु उपस्कर भी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें जमीन पर बैठकर पठन-पाठन का कार्य करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सभी +2 उत्क्रमित विद्यालयों में उपस्कर यथा बेंच-डेस्क आदि की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ

*298. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के वैसे छात्र-छात्राएं जो बिहार से बाहर अन्य राज्य से 10+2 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें बिहार सरकार द्वारा संचालित स्टूडेंट क्रेडिट कार्य का लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के बाहर से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं को भी इस योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*299. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 3-प्र9-25-2023-248, दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान के मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अन्तर्गत आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रस्ताव मांगा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, सिवान का पत्रांक-16(मु)/विकास, दिनांक 27 मार्च, 2023 द्वारा निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण विभाग, बिहार, पटना को मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु स्थल का चयन कर प्रस्ताव भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चयनित स्थल पर आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण कराना

*300. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बाजपट्टी के ग्राम-बाजीतपुर वार्ड नं0-10 में महादलित समुदाय के लोग रहते हैं परंतु सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*301. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ प्रखंड के ग्राम-सिंघौली में अवस्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में भवन एवं चहारदीवारी नहीं है जबकि भवन निर्माण के लिए लगभग तीन एकड़ भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के नये भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*302. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड अंतर्गत गाँधी इंटर उच्च विद्यालय, मुरहन हाट जमीन के लगभग 200 छात्र/छात्राओं द्वारा शुल्क सहित मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद भी एडमिट कार्ड नहीं मिला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ससमय एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण छात्रों को एक साल बर्बाद होने की चिंता सता रही है, साथ ही उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च स्तर पर जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए विद्यालय के छात्रों को यथाशीघ्र एडमिट कार्ड उपलब्ध कराते हुए परीक्षा में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरा का निर्माण एवं बेंच-डेस्क की आपूर्ति

*303. श्री अवधेश सिंह (क्षेत्र संख्या-123 हाजीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के हाजीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, कर्णपुरा एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, बरांटी सहित अन्य माध्यमिक विद्यालयों में कमरा एवं बेंच-डेस्क की काफी कमी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कमरा एवं बेंच-डेस्क के कमी के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्तत खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माध्यमिक विद्यालयों में कमरा निर्माण कराने एवं बेंच-डेस्क आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदा0 पर कार्रवाई

*304. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प/ज्ञापांक संख्या-10000, दिनांक 10 जुलाई, 2015 के द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा पर नियोजन करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संकल्प संख्या-10000, दिनांक 10 जुलाई, 2015 के संलग्न अनुसूची में प्रमंडल संवर्ग के शिक्षा अनुसचिवीय कर्मियों (लिपिकों) को संविदा नियोजन करने के लिए पद चिन्हित नहीं किया गया, फिर भी क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के अनुशंसा के आधार पर आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना द्वारा वर्ष 2019 से लेकर अबतक सेवानिवृत्त लिपिकों का संविदा पर नियोजन किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारातमक हैं, तो क्या सरकार संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा कैलेंडर जारी करना

*305. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के नोडल विश्वविद्यालय द्वारा बी०एड० प्रवेश परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं किया गया है जिससे छात्र-छात्राओं में संशय की स्थिति बनी हुयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बी०पी०एस०सी० द्वारा परीक्षा का कैलेंडर जारी किया गया है और ससमय परीक्षा भी हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बी०पी०एस०सी० की तरह बी०एड० प्रवेश परीक्षा का कैलेंडर जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*306. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के काशीचक प्रखंड अन्तर्गत इंटर विद्यालय में एक बड़ा खेल मैदान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि काशीचक प्रखंड में अभीतक एक भी स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के मैदान में एक स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*307. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड के किशनपुर दक्षिण पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चौहटा की चहारदीवारी एवं मुख्य द्वार नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों का विद्यालय में जमावड़ा लगा रहता है जिसके कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की चहारदीवारी एवं मेन गेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति

*308. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना विश्वविद्यालय, पटना व ललित नारायण विश्वविद्यालय, दरभंगा के केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का स्वीकृत सभी पद विगत पाँच वर्षों से रिक्त है जिसके कारण उक्त पुस्तकालयों का उपयोग छात्र-छात्राएं सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष व सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पदों पर कबतक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*309. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ०जा०))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम के निर्माण कराने का निर्णय लिये जाने के बावजूद मुजफ्फरपुर जिला के प्रखंड मुशहरी एवं बोचहाँ में स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्डों में कबतक स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*310. श्री भारत भूषण मंडल (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत लौकहा विधान सभा क्षेत्र में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण छात्र एवं छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा में डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाना

*311. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के वेशवक गाँव के नाम से प्रंगणा तथा वर्तमान में इस्लामपुर प्रखंड के वेशवक गाँव अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वेशवक गाँव एक गढ़नुमा टिल्हा पर बसा हुआ है जो कि प्राचीन इतिहासकार के अनुसार भिर्षयक नाम के राजा का राजधानी रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि गाँव में गृह निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिये खुदाई करने पर बुद्ध की मूर्ति सहित अन्य अनेकों शिलालेख निकला है जो वहां रखा हुआ है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो वेशवक गाँव को ऐतिहासिक स्थल का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

(3) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वेशवक ग्राम में ग्रामीणों द्वारा गृह एवं अन्य निर्माण कार्य के दौरान पूर्व में निकली मूर्तियों को ग्रामीणों के द्वारा वेशवक ग्राम अवस्थित मंदिरों में अधिष्ठापित किया हुआ है । अनेकों शिलालेख प्राप्त होने की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है।

(4) वेशवक ग्राम अवस्थित प्राचीन माननीय अधिवास से संबंधित स्थल/गढ़ को "बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976" के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 166, दिनांक 26 अप्रील, 2017 द्वारा राजकीय पुरास्थल के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।

प्रेक्षा गृह का निर्माण

*312. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत मैरवा में कोई प्रेक्षा गृह नहीं है, जिससे युवाओं में कला का विकास, नाटकों का मंचन, संगठनों द्वारा मंत्रणा करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मैरवा में प्रेक्षा गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*313. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग अपने कोष से स्कूलों की चहारदीवारी का निर्माण कराती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पटना जिला के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बसुहार, पुनपुन के स्कूल की चहारदीवारी का निर्माण कराने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति

*314. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला के स्थापना के समय से ही संविदा पर शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि संविदा पर नियुक्त कुछ शिक्षकों द्वारा विद्यालय छोड़कर चले जाने से पठन-पाठन बाधित हो रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 10/सिमु०-06/2017 1355 पटना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 द्वारा 127 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की स्थायी नियुक्ति हेतु पद सृजन से संबंधित संकल्प निर्गत होने के बावजूद अबतक नियुक्ति नहीं हो पायी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आवासीय विद्यालय के समुचित पठन-पाठन हेतु शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षण कक्ष एवं चहारदीवारी निर्माण

*315. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ०जा०)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड स्थित बिजुलपुर पंचायत के मध्य विद्यालय, खगनी में विद्यार्थियों की संख्या 600 के लगभग है जबकि विद्यालय में विद्यार्थी के अनुरूप शिक्षण कक्ष नहीं होने से विद्यार्थी शिक्षा खुले मैदान में ग्रहण करने के मजबूर हैं यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में शिक्षण कक्ष एवं चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्याख्याता की नियुक्ति कराना

*316. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय में यू०जी०सी० के नियमावली के अंतर्गत अतिथि व्याख्याताओं (guest teachers) की नियुक्ति की गई है जो लगातार विगत पाँच वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता की बहाली विगत वर्षों में नहीं की जा रही है, जिससे विश्वविद्यालय में स्थायी व्याख्याता के बिना ही पठन-पाठन हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिथि व्याख्याताओं (guest teachers) को ही व्याख्याता के पद पर स्थायी नियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा ऑफलाइन कराना

*317. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, के नियम-4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा (कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट) के माध्यम से फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जायेगी ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षक अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा हेतु कम्प्यूटर पर प्रैक्टिस

करने हेतु नजदीकी विद्यालय के आई०सी०टी० लैब अथवा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में तथा निजी कम्प्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, का उल्लेख किया गया है, परन्तु समयाभाव को देखते हुये प्रैक्टिस करने में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों के हित में सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास निर्माण कराना

*318. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण के पिपरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास नहीं होने से राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ इस क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के छात्रों को नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पिपरा में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । राज्य योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये 100 आसनवाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाये जाने के निर्णय के आलोक में पूर्वी चम्पारण जिला में लुअठाहाँ में जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास संचालित है ।

2. केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्माण योजना के तहत पूर्वी चम्पारण जिला में एम०एम० कॉलेज परिसर, अम्बिका नगर, मोतिहारी में 100 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का संचालन किया जा रहा है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत उपर्युक्त वर्णित दोनों छात्रावासों के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

ग्रेड विभाजन करना

*319. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में शिक्षक नियमावली 2006 के तहत प्रखंड शिक्षक के रूप में वर्ग 1-8 तक बी०एड० योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षक नियमावली 2012 से की गई शिक्षक नियुक्ति में बेसिक ग्रेड तथा स्नातक ग्रेड निर्धारित किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि शिक्षक नियमावली 2006 से नियुक्त बी०एड० योग्यताधारी प्रखंड शिक्षकों का शिक्षक नियमावली 2012 के तहत ग्रेड का विभाजन नहीं हुआ है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षक नियमावली 2006 के तहत नियुक्त शिक्षकों का ग्रेड विभाजन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*320. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत चमथा-1 पंचायत के उच्च विद्यालय, चमथा में स्टेडियम नहीं होने के कारण छात्रों को खेलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उच्च विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्र का भवन बनाना

*321. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अन्तर्गत वार्ड नम्बर 41 (धाटमापुर) स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र का अपना भवन नहीं होने से बच्चों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जमीन अधिग्रहण कर उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र का भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*322. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड बहादुरगंज के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महेश बथना एवं टेढ़ागाछी प्रखंड के रहमतपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य कई विद्यालयों में पर्याप्त भवन नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में अतिरिक्त भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि का भुगतान

*323. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात् मृतक के आश्रित को 5 लाख मुआवजा राशि देने का प्रावधान है, परन्तु पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड स्थित पंचायत-देवरा, ग्राम-बिगनटोला के अजीत कुमार, पिता-राजेन्द्र राय दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को प्रखंड-नौबतपुर, पंचायत-चिरौरा, ग्राम-वादीपुर के अभय कुमार, पिता-स्वर्गीय जुगेश्वर सिंह दिनांक 16 जून, 2023 को एवं प्रखंड-विक्रम, पंचायत-वजीरपुर, ग्राम-वजीरपुर के रजनीश कुमार, पिता-शम्भु प्रसाद की मृत्यु दिनांक 4 मार्च, 2023 को सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसका सत्यापन विभाग द्वारा किये जाने के बावजूद आजतक आश्रित के परिवारों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कर्मियों का स्थानान्तरण

*324. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री; समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित कर्मियों को तीन वर्ष पर स्थानान्तरण करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में तीन वर्ष से अधिक एक ही जगह पर अनेक कर्मी कार्यरत हैं, जबकि जिला पदाधिकारी, मधुबनी ने 6 माह पूर्व ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देशित करते हुये कर्मियों को स्थानान्तरित करने का आदेश दिया था, लेकिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बासोपट्टी प्रखंड सहित मधुबनी जिला के बाल विकास परियोजना कार्यालयों के तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित कर्मियों को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*325. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड आमस के उच्च विद्यालय के बगल में बड़ा खेल का मैदान अवस्थित है, जिसमें लगातार फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है परंतु मैदान का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण खिलाड़ियों को कठिनाई होती है, हाँ, तो सरकार कबतक उक्त खेल के मैदान में चहारदीवारी का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण

*326. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड अन्तर्गत कुरेठा पंचायत में मध्य विद्यालय, कुरेठा की चहारदीवारी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहारदीवारी के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय स्थापित करना

*327. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 87,098 तथा 18,102 है, रानीगंज प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के बच्चों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था हेतु डॉ0 भीमराव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय की स्थापना नहीं की गई है, जबकि आई0टी0आई0, रानीगंज के बगल में लालजी उच्च विद्यालय की 46 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रानीगंज में वर्णित खाली जमीन पर डॉ0 भीमराव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति की 50000 से अधिक आबादी वाले वैसे प्रखंडों जिसमें डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति शेष है, में एक-एक 720 आसन वाले डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं निर्माण की स्वीकृति दी गई है ।

उक्त अर्हता के अनुसार अररिया जिलान्तर्गत प्रखंड रानीगंज में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है ।

जिला समाहर्ता, अररिया से आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

सामुदायिक भवन का निर्माण

'ख'-*328. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत नारायणपुर ग्राम के वार्ड संख्या 9, पंचायत बलहा मकसुदन में महादलितों की संख्या कुल 200 है परन्तु सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पुपरी प्रखंड अन्तर्गत नारायणपुर ग्राम के वार्ड संख्या 9, पंचायत बलहा मकसुदन में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ख'-समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 662, दिनांक 8 फरवरी, 2024 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग में स्थानान्तरित ।

विद्यालय खोलने का निर्माण

*329. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनबरसा प्रखंड के बगहा पंचायत के बगहा मलहा टोली वार्ड नं0-13 में कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बगहा मलहा टोली से दूसरे प्राथमिक विद्यालय की दूरी लगभग 2.5 कि0मी0 होने से बच्चों के आवागमन में कठिनाई एवं पठन-पाठन बाधित होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में नये प्राथमिक विद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*330. श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या-66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्राणपुर विधान सभा के प्राणपुर प्रखंड के रोशना में स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्राणपुर प्रखंड के उक्त मैदान में स्टेडियम के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था

*331. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भागवत ठाकुर उच्च विद्यालय, किशनपुर तथा उच्च विद्यालय, सिरोपट्टी खतुआहा विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अनुपात में वर्ग कक्षा हेतु कमरे/हॉल के नहीं रहने के कारण पठन-पाठन में बड़ी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पठन-पाठन का समुचित व्यवस्था कराते हुए सभी कमियों को यथाशीघ्र दूर कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*332. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिआंव के बुनियाद विद्यालय, अगिआंव एवं प्रखंड गड़हनी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, श्रीनगर, पंचायत-बलिगाँव एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गड़हनी अत्यन्त ही जर्जर हो चुका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय की स्थापना

*333. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बहुलता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कटिहार विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मेधावी छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कटिहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की बहाली

*334. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के खरीक प्रखंड अंतर्गत इंण्टरस्तरीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोकमानपुर में प्रथम से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, लेकिन विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

खनन का आदेश जारी करना

*335. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत करवनदिया, फाजिलपुर, गायघाट, गिजवाही सहित 84 एकड़ के क्षेत्रफल में बिहार सरकार द्वारा सन् 1972 से 2010 तक खनन का कार्य हो रहा था, जो बगैर किसी कारण के अचानक सरकार द्वारा बंद कर दिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में खनन कार्य करने का आदेश दिया गया है, किंतु उसमें रोहतास जिला को छोड़ दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा सभी जिलों में खनन का जो आदेश जारी किया गया है उसमें रोहतास जिला को भी जोड़कर पुनः एक आदेश जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन एवं शेड का निर्माण

*336. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत परियारी के ग्राम-वारह माईल में महादलित परिवार के करीब 300 घर होने के बावजूद भी वहां महादलित सामुदायिक भवन एवं शेड नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ग्राम-वारह माईल में महादलित सामुदायिक भवन एवं शेड का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*337. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ०जा०))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरिया प्रखंड के ग्राम-पंचायत पभेड़ा के ग्राम-पभेड़ा में एक भी स्टेडियम नहीं है, जिससे बच्चे क्रिकेट, हॉकी एवं अन्य खेलों के प्रतियोगिता से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमियों को दूर कराना

*338. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंड अन्तर्गत कल्याणपुर पंचायत के कल्याणपुर ग्राम में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कल्याणपुर एवं सेमरा ग्राम में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सेमरा का भवन जर्जर है तथा छात्र-छात्राओं के अनुपात में कक्षा हेतु कमरे, हॉल तथा चहारदीवारी नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में उक्त सभी कमियों को दूर कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*339. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड में एक भी खेल का मैदान नहीं है, जिसके कारण गरीब बच्चे खेल से वंचित रह जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में खेल के मैदान के लिये सरकारी जमीन भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में एक खेल के मैदान का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कला विश्वविद्यालय शुरू करना

*340. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डुमराँव अनुमंडल में भारत रत्न उस्ताद विस्मिल्लाह खां के नाम से कला विश्वविद्यालय को शीघ्र शुरू करने का प्रस्ताव लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला अधिकारी, बक्सर का पत्रांक 02-0581/सा०, दिनांक 20 मार्च, 2023 के आलोक में राज +2 उच्च विद्यालय के परिसर में विश्वविद्यालय के अस्थायी संचालन हेतु एक नये भवन की बिल्डिंग को चयनित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भारत रत्न उस्ताद विस्मिल्लाह खां को सम्मान देने के लिये डुमराँव में कला विश्वविद्यालय शुरू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*341. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत रतनी फरीदपुर प्रखंड के ग्राम-रसलपुर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय का भूमि उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन नहीं रहने के कारण स्थानीय छात्र-छात्राओं को नियमित पढ़ाई में काफी असुविधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराकर विद्यालय को सुचारू रूप में कार्यान्वित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*342. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ०जा०))--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दनियावां अंचल एवं नालंदा जिला के करायपरशुराय अंचल उपजाऊ मिट्टी एवं घनी आबादी वाला क्षेत्र है परन्तु उक्त दोनों अंचल के अंचलाधिकारियों एवं राज्य प्रदूषण बोर्ड, पटना के गलत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर अल्ट्राटेक सिमेंट फैक्ट्री की स्थापना से उक्त क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने से मिट्टी एवं क्षेत्र के लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अल्ट्राटेक सिमेंट फैक्ट्री को बंजर भूमि वाले इलाके में स्थानांतरण का आदेश देते हुये गलत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले दोषी अंचलाधिकारियों एवं राज्य प्रदूषण बोर्ड पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*343. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी शहर में स्टेडियम के निर्माण हेतु 20.37 करोड़ रुपये का आवंटन वर्ष 2023 में ही हो चुका है, परंतु आजतक स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ई-लाईब्रेरी की स्थापना

*344. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 जनवरी, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "नये सत्र से सभी 268 अंगीभूत कॉलेजों में ई-लाईब्रेरी की सुविधा" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही राजभवन में ई-लाईब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार विश्वविद्यालय तथा इन्फॉर्मेशन एण्ड लाईब्रेरी नेटवर्क के बीच त्रिस्तरीय करार हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में अबतक ई-लाईब्रेरी की स्थापना नहीं हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में अबतक ई-लाईब्रेरी नहीं स्थापित किये जाने का क्या औचित्य है ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*345. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखंड के सभी उच्च विद्यालय प्रक्रिया का पालन किये बिना अपने पसंद के एजेन्सी से टेबुल-बेंच खरीदते हैं जिससे गुणवत्ता वाले सामग्रियों की आपूर्ति नहीं हो पाती है और भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारी पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*346. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड प्रखंड के डाढ़ावारी पंचायत के ग्राम भगवतीपुर वार्ड संख्या 07 मदरसा ईशअतूल उनलूम में चहारदीवारी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मदरसा ईशअतूल उनलूम का चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*347. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''प्रदेश के 26,775 प्रारंभिक स्कूलों में चहारदीवारी नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रदेश में 26,775 प्रारम्भिक विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं रहने से जमीन पर कब्जा और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा एवं पढ़ाई के सुरक्षित परिवेश में बाधा आ रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों के चहारदीवारी निर्माण हेतु बिहार शिक्षा परियोजना के तहत 38.50 अरब रुपये का प्राक्कलन बनाकर शिक्षा विभाग को भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों का चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*348. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के मोहनपुर मधुबन पंचायत अंतर्गत ग्राम-मुस्तफापुर में प्राथमिक विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में विद्यालय के अभाव में छात्र/छात्राओं को लगभग 05 किलो मीटर की दूरी तय कर विद्यालय जाना पड़ता है जिसमें काफी कठिनाई होती है तथा लगभग 60 प्रतिशत छात्रा/छात्राएँ बीच में बीच में पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के हित में ग्राम-मुस्तफापुर में विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खनिज कल्याण योजना का लाभ

*349. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को समाहित करते हुये वर्ष 2018 में ही बिहार जिला खनिज फाउन्डेशन नियमावली, 2018 गठित की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के मूलभूत प्रावधानों को समाहित कर राज्य सरकार द्वारा खनिज क्षेत्रों एवं संलग्न व्यक्तियों के विकास तथा लोक कल्याण की योजनाओं को संतृप्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अस्थावाँ विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारी नदियों के बालू उत्खनन होता है परंतु उक्त योजना का लाभ उन क्षेत्रों को एवं संलग्न व्यक्तियों के निवास तथा लोक कल्याण के लिये नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बालू उत्खनन वाले क्षेत्रों एवं संलग्न व्यक्तियों के निवास तथा लोक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*350. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड अंतर्गत पकरी पंचायत के ग्राम-जोल बिगहा में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम के बच्चे उक्त पंचायत के ग्राम-तारापुर (जिसकी दूरी जोल विगहा से 3 कि०मी० है) नाला पार करके शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जिससे बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति की जांच एवं कार्रवाई

*351. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय समेत बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों में नियमित प्राचार्य नहीं रहने की स्थिति में बिहार विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1976 के खंड 19(1) के अनुसार महाविद्यालयों के वरिष्ठतम प्राध्यापक को ही प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पाटलिपुत्रा के विश्वविद्याल MD College नौबतपुर, BD College पटना समेत बिहार के कई महाविद्यालयों में वरिष्ठतम प्राध्यापक के बजाए अन्य महाविद्यालयों से प्राध्यापक स्थानांतरित कराकर प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है, जो कि नियमानुकूल नहीं हैं ;

(3) अगर उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1976 का अनुपालन करते हुये उक्त महाविद्यालयों समेत अन्य महाविद्यालयों में प्रभारी प्राचार्यों की गलत नियुक्ति की जाँच करवाने एवं इसके लिये दोषी कुलपतियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बालू खनन पर रोक लगाना

*352. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकारी स्तर पर अवैध रूप से बालू खनन पर प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद भी अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के घूरना थाना क्षेत्र के इंडो-नेपाल सड़क मार्ग सुरसर पुल, घुरणा कब्रिस्तान, हरिपुर झा टोला, महेशपट्टी, अचरा सुरसर चौक एवं भवानीपुर गांव सहित अन्य स्थानों पर धड़ल्ले के अवैध बालू खनन जारी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बालू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बालू का खनन कर सरकार को करोड़ों के राजस्व नुकसान पहुँचाया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बालू खनन पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन का भुगतान

*353. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मा० उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2019 को एल०पी०एस०-43/16 में पारित न्यायादेश के बावजूद राज्य के प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत एवं अनुदानित मदरसा के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को आजतक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार न्यायालय के आदेश के अनुसार उक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*354. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला पदाधिकारी के पत्रांक 688, दिनांक 31 मार्च, 2021 द्वारा जिला के तीन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु जिस जमीन के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है उस जमीन पर विद्यालय भवन निर्माण नहीं कराया जा सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पत्रांक के आलोक में विद्यालय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन

*355. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के तहत नौतन प्रखंड में 242 तथा बैरिया प्रखंड में 230 आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन किया जा रहा है और संचालित सभी केन्द्रों में महिला पर्यवेक्षक को प्रतिमाह 75 आँगनबाड़ी केन्द्र तथा महिला एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को नियमित उक्त केन्द्रों का पर्यवेक्षण करना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के निदेश के बावजूद भी नौतन एवं बैरिया प्रखंड के आँगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण कार्य नवम्बर, 2023 से बंद है जिसके कारण अधिकांश केन्द्र बंद या मृत प्राय: होकर कागजों में संचालित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद पड़े केन्द्रों को संचालित कराते हुये सतत निरीक्षण की व्यवस्था सुचारू कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विभागीय अनुदेश का अनुपालन नहीं करने का औचित्य

*356. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि संसदीय विभाग के पत्रांक 183, दिनांक 19 फरवरी, 2021 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 8841, दिनांक 2 जून, 2012 के अनुसार माननीय सदस्य के पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर कृत कार्रवाई से संबंधित माननीय सदस्य को अवगत कराया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा पत्रांक 399/23, दिनांक 2 अगस्त, 2023 तथा पत्रांक 577/23, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से पत्र लिखकर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत केशव सिंह यादव महाविद्यालय, बारूण, औरंगाबाद के प्राचार्य एवं सचिव द्वारा बरती जा रही अनियमितता के विरुद्ध जांच का अनुरोध किया गया था जिसपर कोई भी विभागीय आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो संसदीय कार्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश का अनुपालन नहीं करने का औचित्य क्या है ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*357. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116-तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत ईसुआपुर प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय, डोइला, प्राथमिक विद्यालय, बजरहिया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सढ़वारा सहित राज्य के कई विद्यालयों में भवन के अभाव के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*358. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के पंचायत पदमा के ग्राम-पदमा के वार्ड 15 में सामुदायिक भवन एवं वर्कशेड नहीं है, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पदमा पंचायत के ग्राम-पदमा वार्ड 15 में खाता संख्या 563, खेसरा संख्या 5611 में सामुदायिक भवन हेतु जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत में सामुदायिक भवन-सह-वर्क-शेड निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुल्क बढ़ोतरी के विरुद्ध कार्रवाई

*359. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना में निजी विद्यालयों की फीस निर्धारित करने के लिये सरकार द्वारा पटना प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में शुल्क विनियम समिति गठित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिसके द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली राशि का पूरा विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का निर्देश जारी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि में बिना शुल्क विनियम समिति के अनुमोदन के तथा बिना वेबासाईट पर प्रदर्शित किये निजी विद्यालयों द्वारा विभिन्न शुल्कों में बढ़ोतरी कर विद्यार्थियों का दोहन किया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निजी विद्यालयों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुये शुल्क बढ़ोतरी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*360. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड मदनपुर के पंचायत वार के ग्राम-टण्डवा में उर्दू प्राथमिक विद्यालय, टण्डवा है, जिसमें बच्चों के पढ़ने हेतु मात्र एक कमरा है जबकि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 100 के आस-पास है, कमरा नहीं रहने से बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के आस-पास लगभग 10 कट्ठा जमीन गैर-मजरुआ मौजूद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के लिये जमीन उपलब्ध कराकर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा चालू कराना

*361. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ०जा०))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनबरसा से पटना, बेला से पटना, मिहामोर से पटना एवं बैरगरिया से पटना के लिया सरकारी बस की सुविधा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों से बस की सुविधा नहीं होने से लोगों को पटना जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों से पटना के लिये बस सेवा चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*362. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड अन्तर्गत मोहनी के पंचायत के मोहनी ग्राम में 10+2 उच्च माध्यमिक विद्यालय है, विद्यालय की पढ़ाई मध्य विद्यालय के भवन में चलता है, जबकि मध्य विद्यालय से 500 मीटर की दूरी पर 62 डिसमील जमीन विद्यालय के नाम पर उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विद्यालय के नाम से उपलब्ध जमीन पर 10+2 स्तरीय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल परिसर का निर्माण

*363. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् क्षेत्र में एक भी खुला खेल परिसर नहीं है, जिस कारण क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही वे खेल अभ्यास से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फारबिसगंज नगर परिषद् क्षेत्र में एक खुला खेल परिसर का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाइसेंस दिलाया जाना

*364. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से आरा मिल बिना लाईसेंस के ही संचालित है, जिसके कारण राजस्व की हानि हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे आरा मिल को कबतक लाईसेंस देने का विचार रखती है, हाँ, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण

*365. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखंड के खम्हार पंचायत में अवस्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय के 06 कमरा विगत 15 वर्षों से अर्द्धनिर्मित अवस्था में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में कमरों के अभाव में तथा कमरा अर्द्धनिर्मित होने के कारण शिक्षकों एवं छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के अर्द्धनिर्मित कमरों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*366. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 जनवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "72 हजार शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियन की बहाली में फर्जीवाड़ा की जाँच निगरानी ब्यूरो द्वारा 2015 से ही किया जा रहा है तथा 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी 72,168 शिक्षक के फोल्डर निगरानी ब्यूरो को प्राप्त नहीं हो पाया है जिसके कारण अनियमितता की जाँच नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अनियमितता बरत कर बहाल शिक्षकों पर अभीतक कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*367. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखंड का कन्या मध्य विद्यालय, वजीरगंज बाजार में अवस्थित है जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या नगण्य होने के बावजूद छःशिक्षकों की पदस्थापना की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में छात्रों की कम उपस्थिति के बावजूद भी सिर्फ रजिस्टर पर छात्रों की संख्या दिखाकर मध्याह्न भोजन में अनियमितता बरती जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की स्थापना

*368. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला अन्तर्गत नरहट प्रखंड पंचायत समिति की दिनांक 3 जनवरी, 2015 की बैठक में ग्राम-शेखपुरा के खानकाट मोहल्ला में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नरहट के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 346, दिनांक 4 मार्च, 2015 के द्वारा उक्त विद्यालय खोलने हेतु नवादा के जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुशंसा की है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग के पत्रांक 1163, दिनांक 29 फरवरी, 2016 के संदर्भ में नवादा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 332/एस०एस०ए०, दिनांक 1 मार्च, 2016 द्वारा उक्त विद्यालय खोलने से संबंधित प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं भवन बनाना

*369. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा विधान सभा अन्तर्गत सूर्यपुरा प्रखंड में बलिराम भगत उच्च विद्यालय, गोशलडिह, राज राजेश्वरी उच्च विद्यालय, सूर्यपुरा अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में चहारदीवारी तथा भवन जीण-शीर्ण अवस्था में है, जिससे भवन के अभाव में पढ़ाई बाधित होती है एवं चहारदीवारी के अभाव में अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में चहारदीवारी एवं भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बोटनिकल गार्डन का निर्माण

*370. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड में पर्यावरण सुरक्षा के लिये बोटनिकल गार्डन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बोटनिकल गार्डन निर्माण के लिये पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के चांदी पंचायत के रानीपतरा में जगह उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिये उक्त पंचायत में बोटनिकल गार्डन के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*371. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के 75466 सरकारी विद्यालयों में से 31552 विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं है तथा 8392 विद्यालयों की चहारदीवारी क्षतिग्रस्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चहारदीवारी नहीं होने से छात्र एवं शिक्षक असुरक्षित महसूस करते हैं तथा आवारा पशु परिसर में आते-जाते रहते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालयों में चरणद्ध तरीके से चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महादलित सामुदायिक भवन का निर्माण

*372. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के नरपतगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 20 (हरिजन टोला) सहित बेला वार्ड नंबर 8, पीठौरा वार्ड नंबर 7 एवं 10, फतेहपुर वार्ड नंबर 11 एवं पोसदाहा वार्ड नंबर 7 में महादलित सामुदायिक भवन नहीं है, जबकि उक्त बस्ती की आबादी 500 से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के तहत पाँच सौ आबादी वाले महादलित बस्ती में महादलित सामुदायिक भवन या शेड का निर्माण कराया जाना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बस्तियों में महादलित सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा बहाल कराना

*373. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड कोचाधामन के बरबट्टा, मौधो, अलता, मस्तान चौक, किशनगंज होते हुये सिलीगुड़ी तक के लिये एक भी सरकारी बस सेवा बहाल नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मार्ग में यात्रियों से यात्रा हेतु प्राईवेट बस मालिकों द्वारा मनमाना किराया वसूला जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मार्गों में सरकारी बस सेवा बहाल कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान कराना

*374. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में कार्यरत कर्मियों का वेतन जुलाई, 2023 से लंबित है, जिसके कारण कर्मचारियों के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 20 फरवरी, 2024 (ई०)।

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 86 (एल०ए०), 2023-24 डी०टी०पी० -550